स्ट्रीट फूड विक्रेताओं का पंजीकरण शुल्क माफ : नड्डा

नई दिल्ली (एसएनब)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्देश दिया। नड्डा ने यहां एफएसएसएआई के 1,000 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एफएसएसएआई को स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा, विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने और अधिक से अधिक पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, एफएसएसएआई स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए 100 रुपये का पंजीकरण शुल्क माफ करेगा। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थीं। नड्डा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी विक्रेताओं को स्ट्रीट सेफ रैपिड टेस्टिंग किट प्रदान की जानी चाहिए।